न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला
जिला चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी :–ईश्वर लाल खटीक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2023
जीसीएमएस न0 2023/387

श्रीमती लच्छुड़ी पत्नी ओंकार रावत उम्र–75साल निवासी बिलोट तहसील डूंगला

......प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–प्रार्थीयां की और से अधिवक्ता श्री धीरज मेहता

अप्रार्थीकी ओर से सरकारी पैरोकार

:: निर्णय ::

दिनांकः–03.05.2024

उपरोक्त प्रार्थीयां की खातेदारी एवं कब्जे काश्तकार की आराजीयात मौजा बिलोट में स्थित है जिसकी खाता संख्या 140 संवंत 2077 जिसके आराजी नं. 47 रकबा 0.2700 हैक्टयर भूमि है। तथा मौजा बिलोट में स्थित खाता सं.116 संवंत 2077 जिसके आराजी नं. 53, 545, 998/545 कुल खसरे 03 कुल रकबा 1.8200 हैक्टयर भूमि है उक्त दोनों आराजी में प्रार्थीयां का नाम सकु पत्नी ऊंकार रावत दर्ज रिकॉर्ड हो गये है जब कि प्रार्थीयां का वास्तविक नाम लच्छुड़ी पत्नी ओंकार रावत है। प्रार्थीयां द्वारा जब जमाबंदी की नकल निकलवायी तो जानकारी मे आया कि उक्त खाते में प्रार्थीयां का नाम जो गांव में बोलचाल की चलन में था वह अंकित हो गया है जब कि प्रार्थीयां के सभी दस्तावेजों में प्रार्थियां का नाम लछुड़ी पत्नी ओंकार रावत है। जिसको संशोधन करवाने हेतु प्रार्थीयां के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को सम्मन मय नकल के जारी किये गये। जिस पर मौका एवं रिकॉर्ड के आधार पर जवाब पेश कर दिया गई अप्रार्थी द्वारा अपनी ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब ... पटवारी की मौका रिपोर्ट के प्रस्तुत किया गया।जिसमें प्रार्थियां को गांव बिलोट में उक्त दोनों नामों से जाना जाता है जाहिर किया गया तथा प्रार्थियां का नाम लच्छुड़ी पत्नी ओंकार रावत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.06.10 12:29:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ने पर कोई आपत्ती नहीं होना जाहिर किया गया। इसके अलावा भी प्रार्थीयां का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता की पास बुक आदि में प्रार्थीयां का नाम लच्छुड़ी पत्नी ओंकार ही दर्ज है। साथ ही ग्राम पंचायत बिलोट द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार भी प्रार्थीयां का नाम लच्छुड़ी पत्नी ओंकार रावत भी होना जाहिर है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की तारिफ में आने से स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार मौजा बिलोट में स्थित है खाता संख्या 140 संवंत 2077 जिसके आराजी नं. 47 रकबा 0.2700 हैक्टयर तथा मौजा बिलोट में स्थित खाता सं.116 संवंत 2077 जिसके आराजी नं. 53, 545, 998/545 कुल खसरे 03 कुल रकबा 1.8200 हैक्टयर भूमि है उक्त दोनों आराजी में प्रार्थीयां का नाम सकु पत्नी ऊंकार रावत के बजाय **लच्छुड़ी पत्नी ओंकार रावत** किया जाने का आदेश जाता है।

न्यायालय निर्णय की प्रति भेज कर तहसीलदार डूंगला से पालना मंगवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ईश्वरलाल खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

आदेश आज दिनांक 03.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास राजस्व न्यायालय डूंगला में सुनाया गया।

03/05/24
उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.06.10 12:29:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner